# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–उनि/सशि/निशु/पापु/शाला दर्पण/2018–19/40 दिनांक– 02/05/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय)

विषय :– शैक्षिक सत्र 2019–20 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के वितरण शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल के माध्यम से करने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मॉड्यूल लाईव हो चुका है। शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त पीईईओ, समस्त शहरी आदर्श विद्यालयों एवं उनके परिक्षेत्र में आने वाले राजकीय विद्यालयों को मैप कर दिया गया है। शैक्षिक सत्र 2019–20 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मांग एवं वितरण संबंधी समस्त कार्य इस मॉड्यूल के माध्यम से ही किया जाना है। इस क्रम में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. शहरी आदर्श एवं पीईईओं नोडल द्वारा उनके परिक्षेत्र मे आने वाले समस्त राजकीय विद्यालयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की प्रविष्ठि कक्षा, विषय एवं पुस्तक वार दिनांक 04.05.2019 तक शाला दर्पण पोर्टल पर करवाई जाए। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि नोडल के अधीन किसी भी रा.मा एवं उ.मा. विद्यालय की मांग फीड होने से वंचित नही रहे।
2. **अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक), कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए पूर्व मे ही जिला प्रभारी मनोनीत किया जा चुका है। जिला प्रभारी द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग जिला, FTB लॉगइन से एप्रूव किए जाने के उपरान्त ही पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो की आईडी पर प्रदर्शित होगी।**
3. **पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो लॉग इन से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नोडल वार फीड (प्रविष्ठि) करने के पश्चात ही नोडल विद्यालयों को वितरित की जाएगी। किसी भी स्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ऑफ लाईन नही किया जाए।**
4. आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जिला प्रभारी लॉग–इन आईडी एवं पासवर्ड जरिए ई–मेल/व्हाटस ऐप पर प्रेषित किए जा रहे है। इन्हें गोपनीय रखा जाए।
5. जिलेवार 281 शहरी आदर्श विद्यालयों की अद्यतन सूची प्रेषित की जाए।

शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का मॉड्यूल लाईव हो चुका है, इसलिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण ऑनलाईन प्रक्रिया से ही किया जाएगा। विद्यार्थियों को समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के मद्दे नजर उपर्युक्त निर्देशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्धारित समय पर सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर प्रबोधन आवश्यक है।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कुल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को उक्तानुसार सहयोग करने के निर्देश जारी करवावें।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जिला डिपो प्रभारी को उक्त के संदर्भ में अवगत करवाएं।
5. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रबोधन बाबत।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रबोधन बाबत।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक प्रबोधन बाबत।
8. समस्त पीईईओ एवं संस्था प्रधान, शहरी आदर्श नोडल विद्यालयों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र में आने वाले राजकीय विद्यालयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग शाला दर्पण मॉड्यूल पर फीड करें।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, को प्रबोधन बाबत।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता – निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, दूरभाष –/0151–2544164 ईमेल –: socialedu.gov@gmail.com